

एमजेआरपी यूनिवर्सिटी में नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का समापन



कानून व्यवस्था

जयपुर। महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर के एकेडमी ऑफ लॉ की ओर से विवि के अचरोल कैम्पस में बुधवार को दो दिवसीय नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास थे। अध्यक्षता स्टेट

कंज्यूमर कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस देवेन्द्र कच्छवा ने की। डिस्ट्रिक्ट जज शैलेन्द्र व्यास विशिष्ट अतिथि रहे। प्रतियोगिता में सुबोध लॉ कॉलेज की टीम विजेता रही, वहीं विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी की टीम रनर अप रही। प्रतियोगिता के बेस्ट रिसर्चर, बेस्ट मूटर और बेस्ट मेमोरियल को भी नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

एमजेआरपी यूनिवर्सिटी : समापन पर विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर किया सम्मानित

नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता में जुटे देशभर के लॉ स्टूडेंट्स

जयपुर। महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर के एकेडमी ऑफ लॉ की ओर से विवि के अचरोल कैम्पस में बुधवार को दो दिवसीय नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास थे। अध्यक्षता स्टेट कंज्यूमर कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस देवेन्द्र कच्छवा ने की। डिस्ट्रिक्ट जज शैलेन्द्र व्यास विशिष्ट अतिथि रहे। अपने उद्घोषण में अतिथियों ने कहा कि मूट कोर्ट जैसे आयोजन से स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास बढ़ता है और



प्रेक्टिकल नॉलेज मिलती है। एमजेआरपी यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन निर्मल पंवार ने बुके भेंट कर मेहमानों का स्वागत किया। निर्मल पंवार ने कहा कि

मूट कोर्ट प्रतियोगिता भविष्य के अधिवक्ताओं और विधि निर्माताओं को जन्म देती है। प्रतियोगिता में सुबोध लॉ कॉलेज की टीम विजेता रही, वहीं



विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी की टीम रनर अप रही। प्रतियोगिता के बेस्ट रिसर्चर, बेस्ट मूटर और बेस्ट मेमोरियल को भी नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। सभी

प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। कॉम्प्यूटेशन में देशभर के लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की करीब 40 टीमों ने हिस्सा लिया।

एमजेआरपी यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन निर्मल पंवार ने बताया कि प्रतियोगिता में बुधवार को सेमिफाइनल और फाइनल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। स्टूडेंट्स ने कोर्ट की तरह पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए तर्क सहित बहस की और अंत में जज बने स्टूडेंट ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया। प्रतियोगिता में विधि विशेषज्ञों द्वारा छात्र-छात्राओं को कोर्ट में हुए फैसलों के बारे में बताया गया। प्रतियोगिताओं में टीमों के द्वारा अपना पक्ष विधियों एवं पूर्व निर्णयों के आधार पर तर्कसंगत - तरीके से रखा गया।

एमजेआरपी यूनिवर्सिटी में नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का समापन

कोर्ट की तरह स्टूडेंट्स ने की बहस, पीड़ित पक्ष को दिलाया न्याय

जयपुर, समाचार जगत ब्यूरो। महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर के एकेडमी ऑफ लॉ की ओर से विवि के अचरोल कैम्पस में बुधवार को दो दिवसीय नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास थे। अध्यक्षता स्टेट कंज्यूमर कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस देवेन्द्र कच्छावा ने की। डिस्ट्रिक्ट जज शैलेन्द्र व्यास विशिष्ट अतिथि रहे। अपने उद्बोधन में अतिथियों ने कहा कि मूट कोर्ट जैसे आयोजन से स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। एमजेआरपी यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन निर्मल पंवार ने बुके भेंट कर मेहमानों का स्वागत किया।



निर्मल पंवार ने कहा कि मूट कोर्ट प्रतियोगिता भविष्य के अधिवक्ताओं और विधि निर्माताओं को जन्म देती है।

प्रतियोगिता में सुबोध लॉ कॉलेज की टीम विजेता रही, वहीं विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी की टीम रनर अप रही। प्रतियोगिता के बेस्ट रिसर्चर, बेस्ट मूटर और बेस्ट मेमोरियल को भी नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। कॉम्पीटिशन में देशभर के लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की करीब 40 टीमों ने हिस्सा लिया। एमजेआरपी

यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन निर्मल पंवार ने बताया कि प्रतियोगिता में बुधवार को सेमिफाइनल और फाइनल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। स्टूडेंट्स ने कोर्ट की तरह पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए तर्क सहित बहस की और अंत में जज बने स्टूडेंट ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया। प्रतियोगिता में विधि विशेषज्ञों द्वारा छात्र-छात्राओं को कोर्ट में हुए फैसलों के बारे में बताया गया। प्रतियोगिताओं में टीमों के द्वारा अपना पक्ष विधियों एवं पूर्व निर्णयों के आधार पर तर्कसंगत तरीके से रखा गया।

एमजेआरपी यूनिवर्सिटी में नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का समापन स्टूडेंट्स ने की बहस, पीड़ित पक्ष को दिलाया न्याय

महानगर संवाददाता

जयपुर। महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर के एकेडमी ऑफ लॉ की ओर से विवि के अचरोल कैम्पस में बुधवार को दो दिवसीय नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास रहे। अध्यक्षता स्टेट कंज्यूमर कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस देवेन्द्र कच्छावा ने की। डिस्ट्रिक्ट जज शैलेन्द्र व्यास विशिष्ट अतिथि रहे। अपने उद्बोधन में अतिथियों ने कहा कि मूट कोर्ट जैसे आयोजन से स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। प्रतियोगिता में स्टूडेंट्स



ने कोर्ट की तरह पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए तर्क सहित बहस की और अंत में जज बने स्टूडेंट ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया। एमजेआरपी यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन निर्मल पंवार ने कहा कि मूट कोर्ट प्रतियोगिता भविष्य के अधिवक्ताओं और विधि निर्माताओं को जन्म देती है। प्रतियोगिता में सुबोध लॉ कॉलेज की टीम विजेता रही, वहीं विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी की टीम रनर अप रही। प्रतियोगिता के बेस्ट रिसर्चर, बेस्ट मूटर और बेस्ट मेमोरियल को भी नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। कॉम्पीटिशन में देशभर के लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की करीब 40 टीमों ने हिस्सा लिया।